फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर,(SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती नारायणी बाई — विपक्षी : तहसीलदार भीण्डर

किस्म मुकदमा – 251"क" रा.का. अधिनियम — पत्रावली संख्या : 29/23

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा मुकदमा जारी की गई

दिनांक : 04.09.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर से रिपोर्ट पूर्व में प्राप्त जो आज रेकर्ड पर ली गई। शामिल फाईल रहें। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रास्ता कायम किया जाने का निवेदन किया। राजपेरोकार द्वारा रिपोर्ट को ही जवाब माना जाकर प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की।

प्रकरण के अवलोकन से प्रकरण में प्रार्थीया की खातेदारी आराजी नम्बर 3525, 3526, 4781/3525 कुल किता 3 रकबा 1.7800 हैक्टेयर भूमि में आने जाने के लिए विपक्षी की आराजी नम्बर 3535 रकबा 0.0300 हैक्टेयर भूमि में से होकर 20 फीट चौडा रास्ता कायम किया जाने का निवेदन किया हैं। तहसीलदार भीण्डर द्वारा अपनी रिपोर्ट मे ग्राम वाना के आराजी नंबर 3535 रकबा 0.0300 हैक्टेयर भूमि में से 0.0182 हैक्टेयर (लम्बाई 26 मीटर X चौडाई 7 मीटर) भूमि एवं आराजी नंबर 3529 रकबा 0.4500 हैक्टेयर भूमि में से 0.0406 हैक्टेयर (लम्बाई 58 मीटर X चौडाई 7 मीटर) भूमि रास्ते हेतु प्रस्तावित की गई। प्रार्थीया के खेत में आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं होना बताया हैं। प्रार्थीया द्वारा जो रास्ता चाहा गया है वह न्यूनतम दूरी का होकर प्रार्थीया के खेत तक जाता हैं। उक्त रास्ता के कुल रकबा 0.0588 हैक्टेयर होकर डीएलसी दर 2024888/– प्रति हेक्टेयर के हिसाब से रास्ते की राशि 119064/– रूपये होना बताया। तहसीलदार भीण्डर द्वारा प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई न्यूनतम दूरी का रास्ता नहीं होना बताया हैं। अतः प्रार्थीया अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु विपक्षीगण की जिस भूमि में से रास्ता चाह रहा है वह वर्तमान में बिलानाम दर्ज है। चूंकि प्रार्थीया के भूमि में आने जाने हेतु विपक्षीगण की भूमि के अतिरिक्त अन्य किसी भूमि में से होकर कोई रास्ता नहीं गुजरता हैं जिससे रास्ता कायम किया जाना उचित प्रतित होता है। इस प्रकार डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि पर सशुल्क रास्ता दिया जाना उचित हैं। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: : आदेश : :–

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा वाना पटवार हल्का वाना की आराजी नम्बर 3525, 3526, 4781/3525 कुल किता 3 रकबा 1.7800 हैक्टेयर भूमि में आने जाने हेतु विपक्षी की आ.न. 3535 रकबा 0.0300 हैक्टेयर भूमि में से 0.0182 हैक्टेयर (लम्बाई 26 मीटर X चौडाई 7 मीटर) भूमि एवं आराजी नंबर 3529 रकबा 0.4500 हैक्टेयर भूमि में से 0.0406 हैक्टेयर (लम्बाई 58 मीटर X चौडाई 7 मीटर) भूमि में से रास्ते योग्य कुल रकबा 0.0588 हैक्टेयर भूमि का संलग्न (प्रस्तावित) राजस्व नक्शा ट्रेस अनुसार रास्ता प्रार्थीया की खातेदारी आराजीयात तक कायम किया जावें। इस प्रकार रास्तें में आने वाली भूमि की डीएलसी दर 2024888/– अक्षरे बीस लाख चौईस हजार आठ सौ ईठयासी रूपयें प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रस्तावित रास्ता 0.0588 हैक्टेयर की कुल कीमत 119064/– का दुगुना 238130/– रूपयें दो लाख अड़तीस हजार एक सौ तीस रूपयें राशि प्रार्थीया से वसूल कर विपक्षी को क्षतिपूर्ति के रूप में दिलाई जावें। उक्त राशि विपक्षी को अदा करने के पश्चात् इस भूमि को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें। इस रास्तें पर प्रार्थीया का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहेगा, केवल आने जानें हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। इसी अनुसार रास्ता कायम कर तरमीम कर पालना पेश करें। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Gopal Lal Banjara
Date: 2023.09.06 16:53:23 IST
Reason: SelfAttested

(गोपाल लाल बंजारा RAS)
सहायक कलक्टर भीण्डर
जिला उदयपुर (राज.)